

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— पीयूष समारिया  
आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं० 182/2019

1. किशना पुत्र छीतर जाति मीना निवासी ग्राम नीम का पाडा उपतहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार सैंथल।

...रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम किशना मु०नं० 430/2018।

- उपस्थित : 1. श्री समरथ लाल मीना, अधिवक्ता अपीलांट  
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार



निर्णय

दिनांक: 28.01.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनांक 26.12.2018 को ग्राम नीम का पाडा पटवार मंडल सिण्डोली तहसील दौसा के खसरा नं० 986 के रकबा 0.30 है० किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2075 खरीफ में बाजरा की फसल काशत करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं शास्ति आरोपित कर तथा 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। नायब तहसीलदार सैंथल के उक्त आदेश दिनांक 26.12.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाव को देखे बिना एवं बिना पटवारी हल्का के बयान लिए पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना विधिविरुद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट ने किसी भी चारागाह भूमि पर न तो कोई अतिक्रमण किया है न ही कोई काशत की है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं है। अपीलांट के खिलाफ पूर्व अतिचार सिद्ध नहीं होने के बावजूद उक्त आदेश पारित किया गया है। न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल के आदेश दिनांक 26.12.2018 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

W

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बाद तामील स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर अपीलांट का पुत्र उपस्थित हुआ। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट बावजूद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं० 986 के रकबा 0.30 है० पर अतिक्रमी द्वारा बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर बाजरा बुआई कर अतिक्रमण किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी के पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत उपलब्ध नहीं है। अपीलांट की ओर से खसरा नंबर 986 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। जो पत्रावली में संलग्न है। इसलिए अपीलांट के प्रस्तुत शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैथल जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त कर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास की सजा सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष सेमारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जनवरी 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष सेमारिया)  
जिला कलेक्टर, दौसा